(Reg.-235)13-12-2004

म.प्र.राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्या.
(मध्यप्रदेश राज्य का सहकारिता शीर्ष संस्थान)
मुख्यालय- चतुर्थतल समन्वय भवन (अपैक्स बैंक) टी.टी. नगर भोपाल -462003 (म.प्र.)
☎ 0755-2551493 Email seedfedcomp@gmail.com

क्रं/बी.सं./उत्पा./प्र.बी./खरीफ-24/2024/92 **भोपाल, दिनांक 25/01/2024**

प्रति,

1. संयुक्त आयुक्त सहकारिता
   सह क्षेत्रीय प्रबंधक, बीज संघ संभाग (समस्त)
2. उपायुक्त/सहायक आयुक्त सहकारिता
   सह जिला प्रबंधक बीज संघ जिला (समस्त)
3. सहायक प्रबंधक/लेखा अधिकारी/सहायक
   बीज संघ (समस्त)

विषयः- खरीफ 2024 हेतु प्रजनक बीजों के मांग, आवंटन, उठाव एवं वितरण नीति।

विगत वर्षों से कृषि विभाग द्वारा बीज संघ को प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्रों से खरीफ एवं रबी की विभिन्न फसलों की किस्मों के प्रजनक बीजों का आवंटन प्राप्त हो रहा है तथा आवंटित प्रजनक बीजों का वितरण बीज संघ द्वारा अपने क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों के माध्यम से सदस्य बीज उत्पादक समितियों को निर्धारित नीति अनुसार किया जा रहा है।

गत वर्ष/सीजन की भांति, खरीफ वर्ष 2024 में भी, संघ को संचालक कृषि म.प्र. के माध्यम से माह मार्च - अप्रैल 2024 में आवंटित होने वाले प्रजनक बीजों का स्वयं उठाव कर, सदस्य प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को वितरण किया जाना है, जिसके लिए निर्धारित नीति निम्नानुसार है-

1. खरीफ वर्ष 2024 हेतु बीज संघ को प्रजनक बीज का आवंटन, संचालक कृषि मध्यप्रेदश द्वारा भारत सरकार को खरीफ वर्ष 2024 हेतु पूर्व में प्रस्तुत मांग में उल्लेखित फसल/किस्मों के आधार पर, मार्च/अप्रैल 2024 में किया जाना संभावित है। सदस्य बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा खरीफ की मुख्य फसलों जैसे– **सोयाबीन, धान, कोदो, कुटकी, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, रामतिल तथा तिल की किस्में** जो मध्यप्रदेश राज्य हेतु अनुशंसित है (फसल एवं प्रजातिवार सूची संलग्न है) के प्रजनक बीज की मांग बीज संघ के **पोर्टल के माध्यम से 12 फरवरी 2024 से 15 मार्च 2024 तक** संलग्न मांग आवेदन पत्र सहित प्रपत्र (1) एवं (2) में उप/सहायक आयुक्त सहकारिता सह जिला प्रबंधक, बीज संघ को प्रस्तुत की जावेगी। नियत तिथि के पश्चात् किसी भी सदस्य बीज समिति की खरीफ प्रजनक बीजों की ऑफलाइन मांग, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी। जिला कार्यालय द्वारा समितिवार प्रपत्र (1) की मांग, संबंधी जानकारी बीज संघ की वेबसाईट **www.beejsanghmp.org** पर निर्मित पोर्टल पर ऑनलाइन फीड कराई जावेगी। आवेदन पत्र एवं प्रपत्र (1) एवं प्रपत्र (2) के प्रारूप वेबसाईट पर उपलब्ध है। खरीफ ब्रीडरबीज की आनलाइन मांग के लिए सभी जिला अधिकारियों को पोर्टल पर लॉगइन हेतु यूजर आईडी पासवर्ड पूर्व में प्रदाय किया गया है।

2. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता सह जिला प्रबंधक बीज संघ द्वारा बीज उत्पादक समितियों से प्राप्त मांग पत्र अनुसार, बीज संघ पोर्टल पर प्रजनक बीज मांग फीड कराकर, संकलित जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता सह क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय बीज संघ को अग्रेषित किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरान्त, मांग को बीज संघ भोपाल को ऑनलाइन अग्रेषित किए जावेगा। समितियों से प्राप्त मांग पत्रों की हार्ड कॉपी जिला कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी, जिसे बीज संघ मुख्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर संघ मुख्यालय को भेजा जा सकेगा।
3. बीज समितियॉ बीज की मांग करते समय स्टैण्डर्ड पैकिंग साइज के आधार पर प्रति एकड़ हेतु निर्धारित मात्रा अनुसार ऑनलाइन मांग प्रपत्र (1) में प्रस्तुत करेंगी।
4. बीज संघ की सदस्य प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्थाऐं, कृषि विश्वविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्रों से पोर्टल पर दर्शित, रबी फसलों के प्रजनक बीजों का सीधे स्वयं उठाव नहीं करेंगी अन्यथा उनको जिले के उप संचालक कृषि के माध्यम से प्रजनक बीज वितरण अनुदान और उत्पादन अनुदान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
5. बीज समितियों द्वारा प्रजनक बीज किस्मों की मांग प्रस्तुत करते समय, प्रथम मूल इच्छित किस्म की उपलब्धता नहीं होने अथवा कम होने पर, अन्य दो वैकल्पिक किस्मों की मांग का भी उल्लेख किया जाएगा। जिससे पहली इच्छित किस्म की उपलब्धता नहीं होने पर, दूसरी इच्छित, जो भी उपलब्ध हों, का प्रजनक बीज, समिति को प्रदाय किया जा सकेगा। यदि मूल एवं वैकल्पिक किस्मों का आवंटन बीज संघ को प्राप्त नहीं होता है अथवा कम प्राप्त होता है, तो भारत सरकार से संचालक कृषि मध्यप्रदेश को जिन किस्मों के बीज, बीज संघ को आवंटित किये जावेंगे, उनका आवंटन तद्नुसार बीज समितियों को किया जावेगा तथा समितियों को उन आवंटित किस्मों के ही बीज उठाना होगा। बीज संघ द्वारा प्रदाय केन्द्रों पर अन्तिम रूप से उपलब्धता अनुसार उठाव उपरांत समितिवार वितरित बीजों की प्रविष्टि बीज संघ के पोर्टल पर की जावेगी, जो प्रत्येक जिला कार्यालय के पोर्टल पर दर्शित होगी।
6. बीज उत्पादक समिति द्वारा प्रजनक बीज के मांग के साथ ही, गत खरीफ 2023 में उत्पादित आधार बीज की उपलब्धता की जानकारी प्रपत्र (2) में प्रस्तुत की जाएगी। उल्लेखित उपलब्धता की जानकारी, यदि बीज समिति द्वारा मांग के साथ प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उनकी मांग मान्य नहीं की जाएगी। बीज की अग्रिम बुकिंग करते समय जिला कार्यालय स्तर पर इस बात का आंकलन किया जाएगा, कि बीज समिति द्वारा की जा रही, प्रजनक बीज की अग्रिम बुकिंग तर्क संगत है। इस बात पर गौर करना भी आवश्यक होगा कि संबंधित समिति के पास मांग की गई फसल/किस्म का गत वर्ष का कितना आधार बीज उपलब्ध है? ताकि तदनुसार बीज समिति, फसल की प्रजाति में बीज मांग कर सकेगी।
7. गत खरीफ 2023/रबी 2023-24 सीजन में जिन बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा प्रजनक बीजों की अग्रिम बुकिंग की गई थी तथा उन्हें बीज आवंटित किये गये थे, परन्तु उनके द्वारा बीजों का उठाव नहीं किया गया, ऐसी समितियों की मांग एकत्र नहीं की जाए, न ही उन्हें प्रजनक बीज उपलब्ध कराया जाए। ऐसी समितियों को मैदानी अधिकारी/कर्मचारी चिन्हित करेंगे।